JPO 02 (32)

पूर्व मध्य रेल

संयुक्त कार्य आदेश

विषय–विशेष परिस्थिति (जैसे आग लगना आदि) में रिले रूम/बैटरी रूम/आई.पी.एस. रूम/ओ.एफ.सी.हट जहां पर लगे डबल लॉक (जहॉ लगे है) को खोलने के संबंध में।

संदर्भ– प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन सं. 29 दिनांक 19/05/2023, फाईल संख्या– ECR-HQ0SnT(GENL)/31/2020

उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि:–

1. रिले–रूम/बैटरी रूम/आइ.पी.एस रूम/ओ.एफ.सी. हट जहां पर भी डबल लॉक लगे है, वहॉ की एक चाबी स्टेशन मास्टर के पास एवं दूसरी चाबी एस एंड टी कर्मचारी के पास रहती है।
2. संपूर्ण सावधानियों के बाद भी यदि किसी कारण से इन स्थानों/स्थान में आग लगने की घटना घटित होती है एवं उस समय एस एंड टी कर्मचारी स्टेशन पर उपलब्ध नही है तो वर्तमान परिस्थितियों में फायर अलार्म के द्वारा आग लगने की सूचना मिलने के बावजूद भी एक चाबी एस एंड टी कर्मचारी के पास रहने के कारण रिले–रूम/बैटरी रूम/आई.पी.एस.रूम/ओ.एफ.सी.हट का दरवाजा परिचालन कर्मचारी के द्वारा नही खोला जा सकता है। परिणामस्वरूप परिचालन कर्मचारी आग बूझाने की कोशिश भी नही कर सकता है। अतः ऐसी परिस्थिति से निपटने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिया गया है।

" रिले–रूम/बैटरी रूम/आई.पी.एस रूम/ओ.एफ.सी.हट की डुप्लिकेट नामांकित चाबियों (परिचालन एवं एस एंड टी) का एक सेट बॉक्स में सील करके रखी जाये। यह बॉक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में रखा जायेगा। इन स्थानों/स्थान पर आग लगने की घटना के समय एवं एस एंड टी कर्मचारी की अनुपलब्धता होने पर स्टेशन मास्टर डुप्लिकेट चाबियों का सेट बॉक्स से निकालकर संबंधित स्थान का दरवाजा तुरंत खोलने का प्रबंध करेगा एवं आग बुझाने हेतु कार्यवाही करेगा। साथ में ही सभी संबंधितों को इस घटना की सूचना देगा। " जब कभी भी इन डुप्लिकेट चाबियों का उपयोग किया जाता है तो इसका विवरण एक रजिस्टर में लिखा जायेगा।

फाईल संख्या– ECR-HQ0SnT(GENL)/31/2020 दिनांक 05/06/2023

05 06 23

(बी. के.दास)
मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य
पूमरे/हाजीपुर

05/06/23

(आर.एल. यादव)
मुख्य संकेत इंजीनियर
पूमरे/हाजीपुर